(2020)5 एस.सी.असा. 255

वी संगीता एवं एक अन्य

(आएम आर यात्रा अभिगम पी.वी.टी. लिमिटेड एवं एक अन्य)

सिविल अपील संख्या 2511/2020

05 जून 2020

(डा. धनंजय आई. चन्दंचूड, हेमंत गुप्ता एवं अजय रस्तोगी, न्याय मूर्तिगण)

क्षतिपुर्तिः

मोटर दुर्धटनाः मआवजे का दावा-न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय 9000/- रपये प्रति माह मानते हुचे उसके उग्रशिलो को कुल 20,11,000 रुपये मआवजे का पुरस्कार दिया। उच्च न्यायालय ने अपील में मुआवजे की राशि में वृद्धि करके उसे 33,07,000/- रुपये कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह वृद्धि मृतक की मासिक आय 15000/- प्रतिमाह मानकर की थी। इस आदेश के विरद्घ उच्चतम न्यायालय में पुनः अपील की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित दिया गया कि चूकि वेतन के संबंध में मृतक के आश्रितो द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से यह संकेत मिलता है कि मृतक का वेतन 23,419/- प्रतिमाह था इसकारण मआवजे की राशि वढ़ाकर 45,29000/- की गई जो उक्ख् न्यायालय के द्वारा दिए गये मआवजे की राशि से अधिक था। इसके साथ ही आवेदन दाखिल करने से अंतिम भुगतान की तिथि तक 9% वार्षिक व्याज भी मआवजे की इस राशि पर दिया गया मोटर वाहन अधिनियम,1988

नेशनल इन्श्योरेन्स कं. लि. प्रति प्रणय सेठी **(2017)16 scc 680: (2017)13 एस सी.आर 100 (भरोसा किया गया)**

केस का संदर्भ

(2017)13 SCR 100	**भरोसा किया गया**	**कंडिका 8**

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 2511/2020

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सी.एम.स.सं. 2467/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 के विरुद्घ ।

अपीलकर्तागण की तरफ से- सर्व श्री. टी हरशि कुमार तथा नवनीत दुग्गर, अधिवक्तागण

उत्तरदाता गण की तरफ से:- श्री समर हर सिंह, री आषुतोश ठाकुर, एके. सोनी, श्री राजीव महेष्वरा नंद राय तथा श्री पी.श्रीनिवासन, अधिवक्तागण।

सिविल अपील सं. 2511/2020

न्यायालय का निम्न लिखित आदेश पारित किया गया ।

आदेश

(1) अनुमति दी गई ।

(2) प्रस्तुत अपील मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठके 27 जून 2017 के एक फैसल तथा आदेश से उद्भत हुची है। उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक फैसले के खिलाफ की गयी अपील में अपीलार्थियों को देय मआवजे की राशि 20,11,000 रुपये से बढ़ाकर 33,07,000/- रुपये कर दी थी। इस राशि को अपीलार्थियों के बीच विभजित करने का निर्देश दिया था। अन्य अपीलार्थी मृतक की पत्नी व माँ है। उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और वीमा कर्ता पर संयुक्त रुप से व अलग-अलग देयता तय की गई थी।

(3) वर्तमान अपील में मुद्ददा केवल मआवजे की मात्रा से संबंधित है।

(4) न्यायाधिकरण इस आधार पर आगे बढ़ा कि दुर्घटना तिथि जो 21 जून 2012 को थी, तब मृतक का मासिक वेतन 9000/- प्रतिमाह था। उच्च न्यायालय ने आय 15000/- प्रतिमाह निर्धारित की। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद उच्च न्यायालय ने मई 2012 के लिए वेतन प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया, जो न्याय संगत नहीं था।

(5) मृतक एक निजी कंपीन में कार्यरत था। वह पी.एस.सी था। मआवजे के दावे के समर्थन में गवाही देने वाले मृतक के साथी ने (जीवन साथी) मृतक का वेतन प्रमाण-पत्र और बैक विवरण प्रस्तुत किया। उच्च् न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान वेतन प्रमाण पत्र और बैंक-विवरणो का उल्लेख किया है जिन पर अपीलार्थियों ने भरोसा किया था। प्रदर्शन p-8 जो मई 2012 महीने का वेतन प्रमाण पत्र था, से संकेत मिलता है कि मृतक का वेतन 23,419/- रुपये था। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि वेतन जैसा कि उक्त वेतन प्रमाण पत्र में परिभासित होता है को वर्व अवधि के वेतन प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नही किया जाना चाहिए। ये प्रमाण पत्र अभिलेख पर भी प्रस्तुत किए गये थे जिसमें कम वेतन दिखाया गया था।

(6) न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि मृतक साटर रेस टेक्नोलाजीक प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत था लेकिन जो वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया वह कैरियर रेस टेक्नोलाजिज लिमिटेड का था। वीमाकर्ता की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष पर काफी जोर दिया गया है। इस पहलू पर दावेदार की प्रति परीक्षा से संवोह मिलता है कि वीमाकर्ता द्वारा वेतन प्रमाण पत्र को गलत सावित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया जो मृतक के जीवन साथी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपने अभिसाक्ष्य के दौरान, उनहोने समझाया कि कैरियर रेस टेक्लोलाजिज लिमिटेड एक सहयोगी संस्था थी। वेतन प्रमाण पत्र तथा बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किए गये।

(7) चुंकि बैक विविरण व प्रमाण पत्रको विधिवत सावित व चिन्हित किया गया था इस लिए मई 2012 के महीने के वेतन प्रमाण पत्र को न माने का कोई कारण या औचित्य नहीं था। जो संकेत करता है कि मृतक का शुद्घ वेतन 23419/- रुपये प्रतिमाह था। यह दुर्घटनाके ठीक पहले की अवधि का है। इस लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये मआवजे का इस न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले कानूनी सिद्घान्तों के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। अपीलार्थियों को देय मआवजे की गणना निम्न प्रकार की जाती है।

(I) 23419/-रुपये प्रतिमाह की दर से संगठित वार्षिक आय 281028/-

(II) व्यक्तिगत खर्चो के लिए एक तिहाई से कम यानि 93676/-

(III) शुद्घ आय (I-II) 187352/-

(IV) 40% भविश्य की संभावनायें जोडने पर 74941/-

(V) कुल आया (III+IV) 262293/-

(VI) कुल क्षतिपूर्ति (17) का गुणक 4458981/-

(VII) मानक परिवर्घन जोडे 7000/-

(VIII) कुल देय क्षतिपूर्ति 4528981/-

(8) भविष्य की संभावनओं को प्रदान करने में 70000 रुपये का मानक जोड तथा (17) के गुणक को अपनाते हुए हम **नेशनल इंश्योरेनस कं लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी** में इसी न्यायालय की एक संविधान पीक द्वारा दिए गये निर्णय से निर्देश होते है। माननीय न्यायालय द्वारा लागू (17) की गुणक के सही होने में कोई विवाद नहीं

(9) उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी कुल 4528981 रुपये के मआवजे के हकदार होगे जिसे पूर्णाक मे बदलते हुये 4529000/- किया जाता है। इस पर दावा याचिका दायर करने से भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से टयाज देय होगा।

(10) बढ़ी हुयी राशि का भुगतान उपार्जित ब्याज (यहि कोई हो) के साथ अपीलार्थियों को बराबर के अनुपात में दिया जायेगा।

(11) उपरोक्त शर्तो के अपील स्वीकार की जाती है। खर्चे (वाद खर्च) के संबंध कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

(12) यदि कोई लंबित आवेदन होतो उसका भी निष्पादन किया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है।

अच्युतानंद उपाध्याय